ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 721.81 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित **'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 24 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

वर्ष 2014 – 15 के दौरान ₹ 40,798.66 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015 – 16 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,556.55 करोड़ थी। इसमें से, 75 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 30,929.09 करोड़) तथा कर – भिन्न राजस्व (₹ 4,752.48 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 25 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 5,496.22 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 6,378.76 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,757.89 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियों की 315 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2015 – 16 के दौरान की गई नमूना – जांच ने 48,193 मामलों में कुल ₹ 2,864.64 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2015 – 16 के दौरान, विभाग ने 1,972 मामलों में ₹ 360.42 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 731 मामलों में ₹ 12.63 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

पंजाब भू – राजस्व अधिनियम/राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत भू – राजस्व के बकायों के रूप में राज्य को देय विभिन्न करों के बकायों के संग्रहण की प्रणाली की विषयक लेखापरीक्षा ने बकायों के अप्रभावी अनुसरण तथा सांविधिक प्रावधानों के खराब प्रवर्तन के साथ संबद्ध अभिलेखों का अननुरक्षण प्रकट किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कुल बकाया 112 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,076.66 करोड़ हो गए। ₹ 382.88 करोड़ के बकाया, पंजाब भू – राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि ₹ 207.26 करोड़ के बकाया, कुर्क संपत्ति का निपटान न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। आगे, ₹ 166.56 करोड़ के बकाया अनुवर्ती कर्रवाई की कमी के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.44 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलती से ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय है।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट के अंतर्गत ₹ 38.16 करोड़ के कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया परिणामस्वरूप 61 मामलों में ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का अनुपालन न करने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर तथा ₹ 88.58 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर, जिसने एक डवेल्पर को सामग्री बेची थी, को विशेष आर्थिक जोन बिक्री के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी परिणामत: ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(अनुच्छेद 2.7)

₹ 3.91 करोड़ मूल्य के ड्यूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाइसेंस का क्रय, जो पुन: बिक्री के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं, भुगतान योग्य कस्टम ड्यूटी के विरूद्ध गलत ढंग से समायोजित करने हेतु अनुमत कर दिए गए परिणामत: डीलर को ₹ 20.55 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई।

(अनुच्छेद 2.10)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का 14 प्रतिशत संगठित करते हुए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। शराब पर आबकारी शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अवास्तविक बजट प्रक्षेपण प्रकट किए जिन्होंने संग्रहण प्रयासों की प्रभावी मॉनीटरिंग को हानि पहुंचाई। आगे, अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन एवं सख्त प्रवर्तन राजस्व की वृद्धि कर सकता है जैसाकि प्रतिवेदन में विशिष्ट व्याख्यात्मक उदाहरणों से प्रकट किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.56 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

20 लाईसेंसधारियों से प्रतिभूति और अतिक्ति प्रतिभूति वसूल करने हेतु कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख जमा नहीं/कम जमा हुए।

(अनुच्छेद 3.2.7)

लाईसेंस फीस के भुगतान में विलंब हेतु ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों के चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 44.80 करोड़ की लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.8)

मूल आबंटी की चूक के कारण खुदरा दुकानों के पुर्नावंटन से उत्पन्न अंतरीय लाईसेंस फीस वसूल करने में विफलता के साथ-साथ दुकानों की पुनःनीलामी में विफलता के कारण ₹ 5.19 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.9)

विभाग त्रैमासिक आधारभूत कोटा कम/अधिक उठाने के कारण 466 चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 7.09 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण और वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.10)

शराब के गैर-कानूनी स्वामित्व और व्यापार के कारण 322 अपराधियों से ₹ 1.83 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण और वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.11)

विभाग ने डिस्टिलरीज के प्रबंधन से नियुक्त आबकारी स्थापना के वेतन के कारण ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किए।

(अनुच्छेद 3.2.12)

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

खसरा, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, पर लागू दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए 92 विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 34.84 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 57 विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 85.10 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2)

14 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि का गलत ढंग से कृषीय भूमि पर नियत दर से निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 87.16 लाख की बजाय ₹ 1,850 के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया। परिणामस्वरूप ₹ 87.14 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी मालिकों द्वारा 2,46,948 परिवहन वाहनों तथा 1,63,456 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2.2 से 5.2.3)

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 647 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए माल कर जमा नहीं करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 41.45 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 19.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 5.4)

247 टैक्सी कार/मैक्सी कैब, 100 शैक्षिक संस्थान बसों तथा 35 परिवहन सहकारी सोसाइटी बसों के वाहन मालिकों ने या तो यात्री कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 51.76 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 21.93 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 5.5)

6. अध्याय-6

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

चार जिलों के संबंध में 31 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 11.72 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.2)